सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 22/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री कन्हैयालाल नागर पुत्र श्री रामदयाल नागर (मौके पर मौजूद विक्रेता) निवासी नया हाट चौक बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां। मेसर्स श्री बाबा रामदेव किराना स्टोर, बमोरीकलां तह0 मांगरोल
2. मेसर्स श्री बाबा रामदेव किराना स्टोर, बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :— 1— श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2— श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 11.04.2018

आवेदक द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि दिनांक 01.11.2015 को समय 01.15 पी. एम. पर **मेसर्स श्री बाबा रामदेव किराना स्टोर, बमोरीकलां तह0 मांगरोल** पर पहुंचा। वहां पर **श्री कन्हैयालाल नागर पुत्र श्री रामदयाल नागर** विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **घी (हरियाणा फ्रेश)** 500 मिली. के 20 पेकेट विक्रय हेतु रखा हुआ था। आवेदक को **घी (हरियाणा फ्रेश)** में मिलावट का शक होने पर खाद्य वस्तु **घी (हरियाणा फ्रेश)** 500 मिली. के 4 पेकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता **श्री कन्हैयालाल नागर पुत्र श्री रामदयाल नागर** को रू. 640/— नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **घी (हरियाणा फ्रेश)** 500 मिली. के 4 पेकेट अलग अलग नमूना भाग में कर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। आवेदक ने फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ा, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री सूरजमल प्रजापति (च0 श्रे0 कर्म0) कार्यालय बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी. ओ. एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/29 दि.15.01.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3325/एक्ट/2015/53 दि.05.01.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य वस्तु **घी (हरियाणा फ्रेश)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3 (1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 05.01.2016 में खाद्य पदार्थ को नमूना जांच उपरान्त मिसब्रांड होने रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा मानक (पेकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 से असंगत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी खुदरा एवं हाट व्यवसाय करने वाला लघु व्यवसायी है। अप्रार्थी घी हरियाणा फ्रेश का निर्माता नहीं है। आवेदक ने जांच पूर्व स्वीकृति लिये बिना कार्यवाही की है जो विधि के प्रावधानों से असंगत होने से निरस्तनीय है। खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 05.01. 2016 बाबत सूचना नही दी और 9 माह बाद मिथ्या आधारों पर परिवाद दिनांक 29.09.2016 को पेश किया है। अतः परिवाद निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु **घी (हरियाणा फ्रेश)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे मिथ्याछाप **(Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा **घी (हरियाणा फ्रेश)** का सेम्पल खुदरा एवं हाट व्यवसायी से लिया गया है तथा प्रकरण में निर्माता एवं पेकिंगकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थी को खाद्य पदार्थ **घी (हरियाणा फ्रेश)** जिस पेकिंग में थोक विक्रेता से प्राप्त होता है अप्रार्थी उसी पेकिंग में विक्रय करता है। अप्रार्थी निर्माता एवं पेकिंगकर्ता नहीं है। साथ ही आवेदक ने प्रकरण 9 माह बाद पेश किया है जो निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य वस्तु **घी (हरियाणा फ्रेश)** जांच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)